न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल केम्प, भोपाल, ग्वालियर म.प्र. (156)

निगरानी-0095/2019/विदिशा/भू.रा. प्र.क्र.

भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत 10-01-19 D/R

राजेखाँ आयु 75साल, आ. स्व. मनावर खाँ

निवासी-ग्राम शेरपुर चक तह. व जिला

विदिशा म.प्र. ---- निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध अभिभावक श्री जसीम कुरेशी द्वारा आज दिनांक 2/11/2018 को पेश। अधीक्षक

1. म.प्र. शासन

2. काले खाँ आ. घासी खाँ निवासी-ग्राम शेरपुर चक तह. व जिला विदिशा म.प्र.--- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

(290)

निगरानी /पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

सेवा मे, निवेदन है कि यह निगरानी/पुनरीक्षण श्रीमान राजस्व उपायुक्त महोदय संभाग, भोपाल द्वारा प्र.क्र. 170/अपील/2016-17 में दिनांक 1.11.2018 में पारित आदेश परिवादित/दुखी होकर, प्रस्तुत की जा रही है।

1. यह कि ग्राम शेरपुर चक प.ह.नं. 05 तहसील व जिला विदिशा स्थित पुरानी आराजी क्रमांक 217, 219, 220, एवं 221 जिसमें वर्तमान आराजी क्र. 130, 131, 132 एवं 134 है पर पुनरीक्षण कर्ता राजेखाँ आ. स्व. मनावर खाँ अपने पिता के समय से काबिज होकर कृषि कार्य करता रहा। किंत शासकीय अभिलेख में उक्त आराजी नंबरान पर प्रतिपुनरीक्षण कर्ता क्र. 2 काले खाँ आ. घासी खाँ के नाम दर्ज चले आ रहे है।

2. यह कि पुनरीक्षणकर्ता राजे खाँ के पिता मनावर खाँ एवं प्रतिपुनरीक्षण कर्ता की माँ बतूल बी के मध्य उक्त आराजी नंबरान के संबंध में एक व्यवहार वाद 256-63 मनावर खाँ विरूद्ध बतूल बी न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, महोदय विदिशा के समक्ष चला था जो दिनांक 26.3.1966 को निर्णय एवंडिक्री त किया जाकर उक्त भूमि पुनरीक्षणकर्ता के पिता मनावर खाँ की होना मान्य की गई थी। जिसकी प्रथम अपील क्रमांक 353/69 बतूल बी बनाम मनावर खा जिला जज महोदय जिला विदिशा से दिनांक 26.3.1971 को निरस्त की गई है तथा निर्णय एवं ... दिनांक 26.3.66 को स्थित रखा गया है उक्त अपील के निर्णय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0095/2019/विदिशा/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-2-19	आवेदक अधिवक्ता श्री नसीम कुरैशी उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीयअपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	